न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–74/2023

जदुनी मांझी

बनाम्

मंजय पासवान

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जदुनी मांझी, पिता–स्व0 तपेश्वर मांझी, ग्राम–मनिका, थाना–मनिका, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् क्रेता मंजय पासवान पिता–शिवनन्दन मांझी, ग्राम–मनिका, थाना–मनिका, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मनिका, अंचल–मनिका, खाता संख्या–110, प्लॉट संख्या–1319 रकबा–0.37$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक–304 दिनांक 14.06.2023 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक–304 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम–मनिका खाता संख्या–110, प्लॉट संख्या–1319 रकबा–0.37 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है, जिसका जमाबंदी विक्रेता के नाम पर चलता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही थाना के निवासी

है। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल–4.06$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा भूमि बिक्री की अनुमति के लिए अनुशंसा किया गया है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत विक्रेता जदुनी मांझी, पिता–स्व0 तपेश्वर मांझी, ग्राम–मनिका, थाना–मनिका, जिला–लातेहार को क्रेता मंजय पासवान पिता–शिवनन्दन मांझी, ग्राम–मनिका, थाना–मनिका, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मनिका, अंचल–मनिका, खाता संख्या–110, प्लॉट संख्या–1319 रकबा–0.37$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 17:25:42 +05:30
Location: 192.168.164.143